

वधियकों पर राज्यपाल की नषिक्रयिता

यह एडिटरियल 25/04/2023 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "Pending Bills, the issue of gubernatorial inaction" लेख पर आधारित है। इसमें राज्यपाल के पास लंबित वधियकों की समस्या के बारे में चर्चा की गई है।

तमलिनाडु राज्य वधिनसभा द्वारा पारित वधियकों के संबंध में राज्य के राज्यपाल की कार्रवाई के संबंध में हाल में उत्पन्न विवाद के मद्देनजर एक प्रस्ताव पारित कर भारत के राष्ट्रपति से हस्तकषेप का आग्रह किया गया है। उल्लेखनीय है कि तमलिनाडु वधिनसभा द्वारा पारित कई वधियक लंबित पड़े हैं क्योंकि राज्यपाल द्वारा इन पर कोई नरिणय नहीं लिया गया है।

वधिनसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर भारत के राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वे एक समयसीमा तय करें, जिसके अंतर्गत वधिनसभा द्वारा पारित वधियकों को संस्वीकृति देना अनविार्य होगा।

इसने राज्य वधियकिया द्वारा वधिवित पारित किये गए वधियकों को स्वीकृति देने में असीमति वलिंब के संबंध में राज्यपाल की वविकाधीन शकृति पर सवाल उठाया है।

राज्यपाल की वविकाधीन शकृतियाँ:

संवधिन यह स्पष्ट करता है कि कोई मामला राज्यपाल के वविक के अंतर्गत आता है या नहीं, इस संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो राज्यपाल का नरिणय अंतिम होता है और उसके द्वारा कारित किसी भी कृत्य की वैधता को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है कि उसने अपने वविक से कार्य किया या नहीं।

■ राज्यपाल का संवैधानिक वविक:

- राष्ट्रपति के वधिारार्थ वधियक को आरक्षित करना (अनुच्छेद 200)।
- राज्य में [राष्ट्रपति शासन](#) (अनुच्छेद 356) लगाने की अनुशंसा करना।
- किसी नकिटवर्ती केंद्रशासित प्रदेश (अतिरिक्त प्रभार के मामले में) के प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग करते हुए।
- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मजोरम सरकार द्वारा [स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद](#) को खनजि अन्वेषण के लिये लाइसेंस से अर्जति रॉयल्टी के रूप में देय राशा का नरिधारण करना।
- राज्य के प्रशासनिक और वधियी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना।

■ परस्थितिजन्य वविक:

- मुख्यमंत्री की नयिकृति करना जब राज्य वधिनसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो या पदेन मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो गई हो और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं हो।
- मंत्रपरिषद की बरखास्तगी जब वह राज्य वधिनसभा का वशिवास प्राप्त होना साबित नहीं कर सकती हो।
- राज्य वधिनसभा का वधितन करना यदि मंत्रपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया हो।

क्या राज्यपाल अपनी वविकाधीन शकृतियों का प्रयोग करते हुए किसी वधियक पर अपनी अनुमति रोक सकता है?

- [अनुच्छेद 200](#) के सामान्य पाठ्य से प्रकट होता है कि राज्यपाल अपनी सहमति को रोकें रख सकता है, लेकिन वशिषज्ज सवाल उठाते हैं कि क्या वह केवल मंत्रपरिषद की सलाह पर ही ऐसा कर सकता है।
- संवधिन में प्रावधान है कि राज्यपाल अनुच्छेद 154 के तहत मंत्रपरिषद की सलाह पर ही अपनी कार्यकारी शकृतियों का प्रयोग कर सकता है।
- बड़ा सवाल यह है कि वधिनसभा द्वारा वधियक पारित किये जाने के बाद राज्यपाल द्वारा अपनी सहमति को रोकें रखने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिये।

- भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने हाल ही में राज्यपालों द्वारा उन वधियकों को रोकें रखने के मुद्दे को संबोधित किया जिससे वे सहमत नहीं थे

और जिसके कारण अनशुचितकालीन वलिंबन की स्थिति बनी। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 200 के उपबंध का उल्लेख किया, जो यह नरिदषिट करता है कि राज्यपालों को वधिानसभाओं द्वारा पारति कयि गए वधियकों पर सहमति देने में देरी नहीं करनी चाहयि।

लंबति वधियकों से संबद्ध मुद्दे

■ नरिणय लेने में देरी:

- वधियकिया द्वारा पारति वधियकों पर नरिणय लेने में राज्यपाल की वफिलता से नरिणय लेने में देरी होती है, जो राज्य सरकार के प्रभावी कारयकरण को प्रभावति करती है।

■ नीतयिों और वधियिों के कारयान्वयन में देरी:

- जब राज्यपाल वधिानसभा द्वारा पारति कसिी वधियक पर नरिणय लेने में वफिल रहता है, तो यह नीतयिों और वधियिों के कारयान्वयन में देरी का कारण बनता है।
- इस देरी के महत्त्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, वशिषकर जब वधियक लोक कल्याण से संबधति हो।

■ लोकतांत्रिकि प्रकरयिा को कमजोर करना:

- राज्यपाल, जसिे केंद्र द्वारा नयुिक्त कयिा जाता है, राजनीतिकि कारणों से राज्य वधिानसभाओं द्वारा पारति वधियकों को वलिंबति या असवीकार करने के लयि अपनी शक्तयिों का उपयोग कर सकता है, जो फरि लोकतांत्रिकि प्रकरयिा को कमजोर करता है।

■ लोक धारणा:

- आम लोग प्रायः राज्यपाल के पास लंबति वधियकों को राज्य सरकार की अक्षमता या उसके भ्रष्टाचार के संकेत के रूप में देखति है, जो सरकार की प्रतषिठा को हानि पिहुँचा सकती है।

■ संवैधानिकि असपष्टता:

- अनुमति रोकने की राज्यपाल की शक्त के संबध में संविधान में असपष्टता है।
- यद्यपि संविधान राज्यपाल को अपनी सहमति रोकने की शक्ति प्रदान करता है, यह स्पष्ट नहीं है कि कयिा वह केवल मंत्रपरिषद की सलाह पर ही ऐसा कर सकता है।

■ उत्तरदायतिव की कमी:

- राज्यपाल अपनी सहमति रोकने के नरिणय का कारण बताने के लयि बाध्य नहीं है।
- उत्तरदायतिव की यह कमी शासन में पारदर्शतिा और जवाबदेही के सदिधांतों को कमजोर करती है।

आगे की राह

■ स्वीकृति के लयि नरिधारति समयसीमा:

- सर्वोच्च न्यायालय देश में [संघवाद](#) के व्यापक हति में वधिानसभा द्वारा पारति वधियक पर नरिणय लेने के लयि राज्यपालों के लयि एक उचित समयसीमा नरिधारति करने पर वचिर कर सकता है।
- यह अनुचित देरी पर रोक लगाणा और यह सुनिश्चति कर सकेगा है कि राज्य का शासन संवैधानिकि प्रावधानों के अनुसार कयिा जा रहा है।

■ केंद्र और राजयों के बीच संवाद:

- इस मुद्दे को हल करने और संवैधानिकि प्रावधानों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लयि केंद्र और राजयों के बीच संवाद की आवश्यकता है।

■ जन जागरूकता और सकरयिता:

- इस मुद्दे पर जन जागरूकता एवं सकरयिता बढ़ाना और यह मांग करना महत्त्वपूर्ण है कि संवैधानिकि प्रावधानों का पारदर्शी, नषिपक्ष और समयबद्ध तरीके से पालन कयिा जाए।
- नागरिकि समाज समूह, मीडयिा और नागरिकि मंच इस संबध में इस मुद्दे को उजागर करने तथा अधिकारयिों पर जनहति में कारय करने के लयि दबाव बनाने के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमकिया निभा सकते हैं।

अभय्यास प्रश्न: वधियकिया द्वारा पारति वधियकों को स्वीकृति देने में राज्यपाल की भूमकिया के संदर्भ में न्यायकितता (Justiciability) के मुद्दे पर चर्चा कीजयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????????

प्रश्न. कसिी राज्य के राज्यपाल को नमिनलखिति में से कौन-सी वविकाधीन शक्तयिा दी गई है? (वर्ष 2014)

1. राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना
2. मंत्रियों की नियुक्ति
3. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधियों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षण करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 1 और 3
- (C) केवल 2, 3 और 4
- (D) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (B)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/governor-inaction-over-bills>

